राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1409

03 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

'एसआरटीएमआई' के अंतर्गत परियोजनाएं

1409. श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमारः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा लगाई गई इस्पात आयात प्रशुल्क बाधाओं के कारण अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में घरेलू इस्पात की मांग और आपूर्ति किस प्रकार प्रभावित हो रही है;

(ख) सरकार द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों को ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संरक्षणवादी उपायों के विरुद्ध सुरक्षोपायों से लैस करने के लिए क्या-क्या प्रयास किए गए हैं;

(ग) क्या बाज़ार के लिए निम्न गुणवत्ता वाले इस्पात का उत्पादन करने के आरोप लगे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और पूर्वकथित मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) 'भारत के अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मिशन' के अंतर्गत आरंभ की जाने वाली /आरंभ की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा और इनकी स्थिति क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क): जब से संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाए गए हैं, तब से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू इस्पात की आपूर्ति एंव माँग में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। वर्ष 2017-18 की तुलना में 2018-19 में आयात में 5% की वृद्धि हुई है, इस अवधि के दौरान फिनिश्ड इस्पात के निर्यात में 34% कमी आई।

(ख): इस्पात के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित घरेलू इस्पात उत्पादकों की सुरक्षा के उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न इस्पात उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क और प्रतिकारी शुल्क लगाया है।

(ग): प्रमाणीकरण और मानकों को लागू करने का कार्य भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा किया जाता है। देश में केवल गुणवत्ता इस्पात का उत्पादन या आयात सुनिश्चित करने के लिए इस्पात मंत्रालय ने इस्पात एवं इस्पात उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसी) अधिसूचित किए हैं।

(घ): भारत के इस्पात अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मिशन (एसआरटीएमआई) मुख्य और गौण क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए इस्पात मंत्रालय के साथ मिलकर सक्रिय रूप से काम कर रहा है।

****